Consumer Complaint No. CC/2019/79	Ram Narayan Sahu Vs. Shri Ram General Ins. Co. Ltd.	Pronounced on Date 27.06.2024

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांक–05/04/2019
अंतिम तर्क दिनांक–18/06/2024
आदेश दिनांक–27/06/2024

परिवाद प्रकरण क्रमॉक–CC/2019/79

1. उषा साहू पति स्व. रामनारायण साहू, उम्र–49 वर्ष,
2. प्रकाश साहू पिता स्व. रामनारायण साहू, उम्र–28 वर्ष,
3. प्रियंका साहू पिता स्व. रामनारायण साहू, उम्र–27 वर्ष,
   सभी निवासी–वार्ड नं.43, रामायण चौक, चांटीडीह
   बिलासपुर (छ0ग0)

(सभी विधिक वारिसान स्व. रामनारायण साहू) ..... **परिवादीगण**
द्वारा श्री बी.मजूमदार, अधिवक्ता

//विरूद्ध//

शाखा प्रबंधक,
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
शाखा कार्या, एस–8 एवं 9, द्वितीय मंजिल
छत्तीसगढ़ प्लाजा अग्रसेन चौक, टेलीफोन
एक्सचेंज के पास बिलासपुर(छ.ग.) .....**विरोधी पक्ष**
द्वारा श्री अवनीश दीवान, अधिवक्ता

समक्षः **माननीय आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष**
माननीय श्रीमती पूर्णिमा सिंह, सदस्य
माननीय आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य

// आदेश //

(द्वारा–आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष)

1. परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत बीमित वाहन का दुर्धटना दावा खारिज कर सेवा में कमी के आधार पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है। उक्त आधार पर परिवादीगण ने विरोधी पक्ष से वाहन के सुधार खर्च 2,82,426/–रूपये 18 प्रतिशत मय ब्याज,

मानसिक एवं परेशानी मद में 50,000/–रूपये, वाद व्यय एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

2. उभयपक्ष के अभिकथनों, दस्तावेजों एवं विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क के आधार पर स्वीकृत एवं अविवादित तथ्य निम्नानुसार है–

1. परिवादी के स्वामित्व की वाहन क्र.सी.जी.10/एस.–0389 हल्का सवारी परिवहन यान का बीमा विरोधी पक्ष की ओर से दिनांक 27.02.2018 से 26.02.2019 अवधि के लिए बीमा पालिसी क्र. 209039/31/18/007470 के तहत किया गया था। बीमा पालिसी की प्रति प्र.सी.02 है।
2. परिवादी के स्वामित्व की उक्त बीमित वाहन दिनांक 10.09.2018 को दुर्घटनाग्रस्त होने पर परिवादी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराकर दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दिया था। विरोधी पक्ष द्वारा बीमादावा प्रस्तुत होने पर सर्वेयर नियुक्त कर भौतिक निरीक्षण कराया था। सर्वेयर द्वारा निरीक्षण उपरांत दी गई रिपोर्ट के अनुसार 45,714/–रूपये क्षति का आंकलन किया गया था।
3. विरोधी पक्ष द्वारा परिवादी का बीमा दावा को बीमित वाहन को चलाने हेतु चालक के पास वैध लायसेंस न होने के आधार पर निरस्त कर उसकी सूचना दिनांक 21.11.2018 को प्रेषित की गई थी, जो प्र.सी.01 है।

3. प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, परिवादी के स्वामित्व की बीमित वाहन को दिनांक 10.09.2018 को परिवहन श्रेणी के वैध लायसेंसधारी परिवादी द्वारा स्वतः चलाया जा रहा था। उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना बीमा कंपनी को दी गई थी। बीमा कंपनी के निर्देशानुसार वाहन की सुधार के लिए 2,82,426/–रूपये व्यय किया गया, सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर बीमादावा प्रस्तुत किया गया था। बीमा कंपनी द्वारा बिना किसी आधार के दुर्घटना के समय चालक के पास

वैध एवं प्रभावी लायसेंस न होने तथा पालिसी शर्त का उल्लंघन मानकर बीमादावा दिनांक 21.11.2018 को निरस्त कर सेवा में कमी की गई है। इसलिए वांक्षित अनुतोष दिलाने का निवेदन किया है।

4. विरोधी पक्ष की ओर से विस्तृत लिखित कथन प्रस्तुत कर इस तथ्य को अस्वीकार किया गया है कि, वाहन को वैध लायसेंसधारी द्वारा चलाया जा रहा था तथा दुर्घटना में 2,82,426/—रूपये व्यय करना पड़ा है। उन्होंने सर्वेयर के माध्यम से वाहन का भौतिक सर्वे कराया था, जिस पर कुल 45,714/—रूपये क्षति का आंकलन किया गया। चूँकि वैध लायसेंस के बिना वाहन चलाये जाने से बीमा पालिसी शर्त का उल्लंघन हुआ है, इसलिए परिवादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

5. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के अलावा सूची अनुसार दस्तावेज दावा निरस्ती पत्र, बीमा पालिसी, आर.सी.बुक, परमिट, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस, सुपुर्दनामा आदेश, वाहन रिपेयरिंग बिल आदि प्रस्तुत की गई है।

6. विरोधी पक्ष की ओर से अपने लिखित कथन के समर्थन में मनोज कुमार पिता स्व. श्री मुरली मनोहर, विधि अधिकारी, जयपुर का विस्तृत शपथ पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज सर्वेयर आर.के.गुप्ता की सर्वे रिपोर्ट, सर्वेयर आर.के.गुप्ता का शपथ पत्र, परिवादी का ड्रायविंग लायसेंस आदि प्रस्तुत किया है।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. विचारणीय प्रश्न निम्न हैः—

क्या विरोधी पक्ष द्वारा परिवादीगण के प्रति सेवा में कमी की गई है ?

निष्कर्ष के आधार

9. परिवादी की ओर से दुर्घटना के समय स्वतः को वैध लायसेंसधारी वाहन चालक होना और उसके द्वारा वाहन चलाते समय दुर्घटना होना वर्णित किया है। परिवादी ने स्वयं का वाहन चालक लायसेंस प्र.सी.06 की प्रति

प्रस्तुत की है। जिसमें उसके पास हल्का मोटरयान (LMV Non-Transport) का लायसेंस दिनांक 25.04.2024 तक की अवधि के लिए वैध होना उल्लिखित है। परिवादी के स्वामित्व की बीमित वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र प्र.सी.03 से यह दर्शित है कि वाहन की श्रेणी हल्का मोटरयान मैक्सी केब रही है। जिसका परमिट प्र.सी.04 एवं फिटनेस प्र.सी.05 है। बीमा पालिसी के अनुसार भी वाहन को वाणिज्यिक श्रेणी का होना मानते हुए वाहन की क्षमता 7+1 दर्शाया गया है। उक्त दस्तावेज से भी वाहन को हल्का मोटरयान श्रेणी का परिवहन यान होना पाया जाता है।

10. परिवादी ने वाहन दुर्घटना के पश्चात रिपेयर हेतु प्र.सी.08 का स्टीमेट जिसमें महिन्द्रा केयर की ओर से 1,85,226/–रूपये का व्यय होना दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त बैटरी का बिल 7,200/–रूपये तथा अन्य सामान डेंटिंग–पेंटिंग आदि का 90,000/–रूपये का बिल संलग्न किया गया है। विरोधी पक्ष द्वारा बीमा दावा प्रस्तुत होने के पश्चात करायी गई सर्वे रिपोर्ट प्र.ओ.पी.02 प्रस्तुत की है। उक्त सर्वेयर श्री आर.के.गुप्ता द्वारा सर्वे रिपोर्ट के संबंध में अपना शपथ पत्र प्र.ओ.पी.01 दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत स्टीमेट के विरूद्ध कुल क्षति का आंकलन कर 45,714/–रूपये दर्शाया गया है।

11. यद्यपि कि परिवादी ने 2,82,462/–रूपये वाहन बनवाने में व्यय होना वर्णित किया है, जबकि उक्त स्टीमेट वाहन रिपेयर के पश्चात का न होकर पूर्व के है। परिवादी ने वाहन सुधार पश्चात वास्तविक व्यय का देयक प्रस्तुत नहीं किया है। सर्वेयर द्वारा वाहन के स्टीमेट के आधार पर भौतिक निरीक्षण कर क्षति का आंकलन 45,714/–रूपये किया गया है। हमारे सुविचारित मत में सर्वे रिपोर्ट तथा उनकी ओर से की गई क्षति के आंकलन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः हम परिवादी को वाहन दुर्घटना में हुई क्षति 45,714/–रूपये को विश्वसनीय पाते हैं।

12. हमारे सुविचारित मत में परिवादी के स्वामित्व का बीमित वाहन हल्का मोटरयान श्रेणी के यात्री वाहन/परिवहन यान रहा है। जो पंजीयन प्रमाण

पत्र के अनुसार वाहन की सकल भार क्षमता 1750 कि.ग्राम वर्णित है। हमारे सुविचारित मत में हल्का मोटरयान श्रेणी के यात्री वाहन/परिवहन यान के वाहन चालक के लायसेंस की वैधता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **मुकुन्द देवांगन वि. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (2017) 14 SCC 663** में प्रतिपादित सिद्वांत अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुए हम यह पाते हैं कि, हल्का मोटरयान श्रेणी के वैध लायसेंसधारी चालक के लायसेंस में परिवहन यान का पृष्ठांकन होना विधितः आवश्यक एवं अपेक्षित नहीं रहा है। अतः विरोधी पक्ष बीमा कंपनी द्वारा उस पर विचार किये बिना परिवादी की ओर से प्रस्तुत बीमा दावा स्वीकार न कर, सेवा में कमी किया जाना अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित पाते हैं। अतः विचारोपरांत यह परिवाद तद्नुसार स्वीकार कर, निम्नलिखित निर्देशयुक्त आदेश पारित करते हैंः–

1. विरोधी पक्ष आदेश प्राप्ति के 45 दिन के अंदर परिवादी को सर्वेयर द्वारा बीमित वाहन की दुर्घटना पश्चात वाहन क्षति की आंकलित राशि 45,714/–(पैंतालिस हजार सात सौ चौदह रूपये) भुगतान करेगा।
2. विरोधी पक्ष, आदेश प्राप्ति के 45 दिन के अंदर परिवादी को उक्त राशि 45,714/–(पैंतालिस हजार सात सौ चौदह रूपये) पर परिवाद प्रस्तुति 05.04.2019 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज पृथक से भुगतान कर करेगा।
3. विरोधी पक्ष, आदेश प्राप्ति के 45 दिन के अंदर परिवादी को मानसिक क्षति के मद में 10,000/–(दस हजार रूपये) तथा वाद व्यय के रूप में 5,000/–(पॉच हजार रूपये) पृथक से भुगतान करेगा।

(आनंद कुमार सिंघल)
अध्यक्ष

(श्रीमती पूर्णिमा सिंह)
सदस्य

(आलोक कुमार पाण्डेय)
सदस्य

Order Pronounced on: 27th June,2024